

नमस्कार श्री मान

सूचना के अधिकार 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र

सर में सूचना के अधिकार के तहत मेडिकल कौंसिल ऑफ़ इंडिया (MCI) से कुछ सूचना प्राप्त करना चाहता हु
जो निम्नलिखित हे

1: सर में यह सूचना प्राप्त करना चाहता हु की डॉक्टर जब प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो उन्हें किस तरह से प्रिस्क्रिप्शन लिखने की राइटिंग होनी चाहिए मतलब इंग्लिश की करशु में या फिर इंग्लिश के कैपिटल लेटर में इसका कोई रेगुलेशन या रूल हे क्या अगर हे तो हमे सूचना जरूर दीजिये

2: जब डॉक्टर कोई अनैतिक कार्य या गलत असंवेधानिक करता है तो उन पर MCI द्वारा क्या कार्यवाही करती है क्या उनके लाइसेंस निरस्त करती है 2000 से अभी तक 2017 तक मध्यप्रदेश में कितने डॉक्टर के अनैतिक कार्यों के लिए उनके लाइसेंस स्थायी रूप से निरस्त किये कृपया उनकी सूचि प्रदान करे

3: जब कोई डॉक्टर और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसनर mbbs करने के बाद जब प्रैक्टिस करता है तो उन्हें क्या कर्तव्य या CODE OF ETHICS Regulations दिए जाते हे वह भी बताईये

4: जेनेरिक दवाइया क्या होती है जेनेरिक दवाइया डॉक्टर द्वारा prescribe क्यों नही की जाती इसका कोई नियम है तो जरूर सूचना दे

5: MBBS के अलावा BHMS, BAMS, BUMS या B. Pharma या REG. फार्मासिस्ट को भी ALLOPATHIC दवाई PRESCRIBE करने का अधिकार है क्या कृपया सूचना दे

किशोर धाकड़

स्टेशन रोड उन्हेल जिला उज्जैन मध्यप्रदेश 456221

9685661472

दिनांक : 07/05/2017

